न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी श्याम सिंह शेखावत, आर.ए.एस.

अपील संख्या 212/2021

निर्णय दिनांक 15/3/2022

रामनिवास पुत्र श्री देवीनारायण जाति अहीर निवासी ग्राम बृजनाथपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।

..... **अपीलार्थी**

बनाम

1. रूकमणी देवी पत्नि जगदीशनारायण
2. संतोष देवी पत्नि राजेन्द्र प्रसाद
   समस्त जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम चंदलाई, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।
3. प्रहलाद पुत्र लालाराम
4. राधाकिशन पुत्र लालाराम
5. भूरी देवी बेवा लालाराम
6. गोपाल पुत्र रामनारायण
7. कैलाश चन्द पुत्र रामनारायण
   समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम बृजनाथपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।
8. सरकार जरिये तहसीलदार चाकसू, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।

.....**रेस्पोडेन्ट्स**

अपील विरूद्व अंतिम निर्णय डिक्री दिनांक 24.03.2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू, जिला जयपुर वाद पत्र संख्या 179/2019 उनवान रूकमणी देवी व अन्य बनाम रामनिवास व अन्य अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

:–निर्णय–:

1. अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू, जिला जयपुर के वाद पत्र संख्या 179/2019 बउनवानी रूकमणी देवी व अन्य बनाम रामनिवास व अन्य में पारित अंतिम निर्णय डिक्री दिनांक 24.03.2021 के विरूद्व अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि खाता संख्या 10 के खसरा नंबर 23, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 व 46 कुल किता 18 कुल रकबा 4.92 हैक्टेयर ग्राम प्रहलादपुरा उर्फ धमकपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर में स्थित है जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सेनुसार मौके पर रोड पर बराबर फ्रन्ट लेते हुए बाहमी बंटवारा करके काश्त करते चले आ रहे है

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

तथा लगान जमा कराते आ रहे है। आराजीयात का विधिवत तकासमा नहीं हुआ है। वादीगण ने अपने हिस्से की आराजी में उर्वरक खाद डालकर अत्यधिक उपजाऊ बना रखा है तथा अपने हिस्से की भूमि में चारों ओर तार बाउण्ड्री बना रखी है जिससे वादीगण के हिस्से में प्रतिवादीगण के हिस्से के मुकाबले अधिक पैदावार होने से प्रतिवादीगण वादीगण को हैरान परेशान करने के उद्देश्य से आये दिन वादीगण के हिस्से में दखल करते है जिससे वादीगण के लिये आवश्यक हो गया है कि वह अपने हक व हिस्से का विधिवत तकासमा करावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करावे जिसका वादीगण कानूनन अधिकारी है, अभी कुछ दिन पूर्व प्रतिवादीगण अन्य व्यक्तियों के साथ वादग्रस्त आराजीयात पर आये और वादीगण के कब्जे वाली भूमि पर कब्जा करने लग गये तथा बिना तकासमा ही रोड की फ्रन्ट की जमीन पर कब्जा कर विक्रय करने की धमकी दी जिसका प्रतिवादीगण को कोई विधिक अधिकार है। वादी को अपने विधिक अधिकारों की रक्षार्थ यह वाद तकासमा एवम् स्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है। वादीगण ने वाद के अन्य बिन्दुओं के साथ वाद कारण अंकित करते हुए यह अनुतोष चाहा है कि वादीगण वाद विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार कर खसरा नंबर 23, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 व 46 कुल किता 18 कुल रकबा 4.92 हैक्टेयर ग्राम प्रहलादपुरा उर्फ धमकपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर की आराजीयात का वादीगण के हक व हिस्से का कब्जे व मौका स्थिति अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के सिद्धान्त अनुसार तकासमा कर वादीगण का खाता अलग किया जाकर लगान कायम किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादीगण को वादग्रस्त आराजीयात के अपने हिस्से के उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न न करें, आराजीयात को विक्रय, हस्तान्तरित न करें व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। तत्पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अभिभाषक पक्षकारान् की बहस सुनकर, बाद बहस मनन दिनांक 16.12.2019 को प्राथमिक निर्णय डिक्री पारित कर, तहसीलदार चाकसू को वादग्रस्त आराजीयात के उभयपक्षों की उपस्थिति में बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के सिद्धान्त अनुसार कुरैजात रिपोर्ट तैयार कर, न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया। तहसीलदार चाकसू द्वारा नक्शे कुरैजात प्रस्तुत करने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अभिभाषक पक्षकारान् की बहस सुनकर, बाद बहस मनन दिनांक 24.03.2021 को अंतिम निर्णय डिक्री पारित कर, अंतिम निर्णय डिक्री अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने के आदेश पारित किये। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर तलबी रेस्पोडेन्ट्स जारी की गई। अभिभाषक पक्षकारान् की बहस सुनी गई। दौराने बहस अभिभाषक अपीलार्थी ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार चाकसू को मौके पर स्वयं उपस्थित होकर, पक्षकारान् की उपस्थिति में नक्शे कुरैजात तैयार करने हेतु आदेशित किया था किन्तु तहसीलदार द्वारा स्वयं मौके पर उपस्थित होकर नक्शे कुरैजात तैयार नहीं किये है बल्कि पटवारी द्वारा तैयार नक्शे कुरैजात पर हस्ताक्षर कर, अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किये। नक्शे कुरैजात मात्र रेस्पोडेन्ट/वादी की उपस्थिति में तैयार किये गये है अपीलार्थी/प्रतिवादी को इस बाबत् कोई सूचना नहीं दी गई एवं ना ही अपीलार्थी/प्रतिवादी नक्शे कुरैजात तैयार करते समय मौके पर उपस्थित थे। अपीलान्ट खसरा नंबर 39 व 40 के संपूर्ण भाग पर काबिज था किन्तु तकासमा में अपीलान्ट को उक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

भू भाग प्रदान नहीं किया गया। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष नक्शे कुरैजात हेतु आपत्ति भी प्रस्तुत की थी किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र भी ध्यान न देकर तिथि विरूद्ध तरीके से आपत्ति प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नक्शे कुरैजात का परीक्षण न कर जल्दबाजी में अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अत: अपील अपीलार्थी स्वीकार कर, अपीलाधीन निर्णय डिक्री खारिज किये जावे। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अभिभाषक अपीलार्थी के कथनों का खंडन करते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार चाकसू द्वारा मौके पर उपस्थित होकर उभयपक्षकारान् की उपस्थिति में नक्शे कुरैजात तैयार कर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नक्शे कुरैजात का परीक्षण कर कुरैजात प्राथमिक निर्णय डिक्री अनुसार सही पाये जाने पर अंतिम निर्णय डिक्री पारित की है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अपीलान्ट द्वारा जो उज्र अपील के माध्यम से उठाये गये है वह उज्र प्राथमिक निर्णय डिक्री संबंधित है। अपीलान्ट द्वारा अंतिम निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है जिसमें प्राथमिक निर्णय डिक्री संबंधी उज्र विचारणीय नहीं है। अत: अपील अपीलार्थी आधारहीन होने से खारिज की जावे।

4. अभिभाषक पक्षकारान् की बहस पर मनन किया गया। अपील मीमों एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। सुयोग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित की गई है जिसके विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गई है। अभिभाषक अपीलार्थी ने दौराने बहस यह निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसील से प्राप्त कुरैजात रिपोर्ट के विरूद्ध आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें अंकित किया गया था कि प्रार्थी/प्रतिवादीगण ने वादिया से पूर्व में जमीन क्रय की थी एवम् खसरा नंबर 23, 24, 25, 26, 27, 39, 40, 42, 43 व 44 की भूमि विक्रय से प्राप्त की थी जबकि हल्का पटवारी व तहसीलदार ने खसरा नंबर 40 में से काटकर वादी को भूमि दे दी गई है जो गलत है। इस सन्दर्भ में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी/अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत जवाब वाद का अध्ययन किया गया जिसमें जवाब वाद के पैरा संख्या एक में प्रतिवादी/अपीलान्ट्स द्वारा यह अंकित किया गया है कि वाद पत्र के मद संख्या 1 में अंकित तथ्य स्वीकार है कुल किता 24 कुल रकबा 4.92 हैक्टेयर भूमि जो वादीगण एवम् प्रतिवादीगण की शामलाती है ग्राम प्रहलादपुरा उर्फ धमकपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर में स्थित है जिसके खाता संख्या 10 व 11 है। इस जवाब के पैरा के सन्दर्भ में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के पैरा संख्या 1 का अध्ययन किया गया जो निम्न प्रकार है " यह कि वादीगण एवम् प्रतिवादीगण की संयुक्त कब्जे काश्त एवम् खातेदारी की आराजी ग्राम प्रहलादपुरा उर्फ धमकपुरा पटवार हल्का सीमल्यावास, तहसील चाकसू, जिला जयपुर के खाता संख्या 10 के खसरा नंबर 23 रकबा 0.78 हैक्टेयर, खसरा नंबर 24 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नंबर 25 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नंबर 26 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 27 रकबा 0.75 हैक्टेयर, खसरा नंबर 28 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 35 रकबा 0.41 हैक्टेयर, खसरा नंबर 36 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नंबर 37 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 38 रकबा 0.37 हैक्टेयर, खसरा नंबर 39 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नंबर 40 रकबा 0.32 हैक्टेयर, खसरा नंबर 41 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नंबर 42 रकबा 0.37 हैक्टेयर, खसरा नंबर 43 रकबा 0.22 हैक्टेयर, खसरा नंबर 44 रकबा 0.50 हैक्टेयर, खसरा नंबर 45 रकबा 0.39 हैक्टेयर, खसरा नंबर 46

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

रकबा 0.17 हैक्टेयर कुल किता 18 कुल रकबा 4.92 हैक्टेयर स्थित है। इसका तात्पर्य यह है कि वादी द्वारा अपने वाद के पैरा संख्या 1 में अंकित सम्पूर्ण आराजीयात वादी एवम् प्रतिवादीगण की शामलाती आराजीयात रही है एवम् शामलाती आराजी में प्रत्येक सह–खातेदार का प्रत्येक इन्च भू–भाग पर शामलाती कब्जा कानून में माना गया है जिसे प्रतिवादी/अपीलार्थी द्वारा भी अपने जवाब वाद के माध्यम् से स्वीकार किया गया है। इस स्थिति में जब विवादग्रस्त आराजीयात सहखाते की संयुक्त आराजीयात हो तो किसी विशेष खसरा नम्बर के सन्दर्भ में प्रतिवादी/अपीलान्ट द्वारा अपना हक दर्शाना कतई उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार किये जाते समय कुर्रेजात रिपोर्ट में प्रत्येक सह–खातेदार हेतु अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी दर्शाया जाना आवश्यक होता है जबकि इस सन्दर्भ में अपीलार्थी द्वारा कोई उज्र संधारणीय प्रतीत नहीं होता है जिससे कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री में कोई त्रुटि प्रतीत होती हो। उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

5. अतः अपील अपीलान्ट खारिज कर, अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू, जिला जयपुर द्वारा पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 24.03.2021 यथावत रखे जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 15/3/2022 को लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर